न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3650–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–9–2015 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला धार, प्रकरण कमांक 1/अ–70/2014–15.

—

श्रीराम पिता नंदाजी
निवासी ग्राम चिकल्या तहसील व
जिला धार म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मनोहर पिता नंदाजी
निवासी ग्राम चिकल्या तहसील व
जिला धार म0प्र0

.....अनावेदक

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री टी0टी0गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश 24–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार तहसील व जिला धार के समक्ष संहिता की धारा 178 सहपठित धारा 54 के अन्तर्गत उभयपक्ष के संयुक्त स्वामित्व की भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–70/204–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, अतः उसके निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–9–2015

को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया तथा प्रकरण व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 सहपठित धारा 151 के आवेदन पत्र पर जबाव तथा अनावेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि के सबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 302/2014 विचाराधीन है, जिसमें स्वत्वं के प्रश्न का निराकरण होना है, अतः तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं करने में अनियमित एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि भूमि का बटवारा पूर्व में ही हो चुका होकर आवेदक अपनी भूमि पर काबिज चला आ रहा है ।

(3) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं होकर सकारण आदेश नहीं है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि वरिष्ठ न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालय से स्थगन नहीं है, अतः तहसीलदार द्वास कार्यवाही स्थगित नहीं करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनावेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा मुख्यतः यह आधार लेते हुये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

गया है कि चूँकि स्वत्व का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना है इसलिये तहसीलदार के समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित की जाये, परन्तु उक्त आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय का अथवा किसी वरिष्ठ न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः स्थगन के अभाव में कार्यवाही स्थगित की जाना वैधानिक एवं उचित नहीं होने से तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त अनावेदक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में तो तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश 24–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.